भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2579
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई योजनाएँ
2579. श्री अरुण नेहरूः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) लघु और सीमांत किसानों के लिए लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी हेतु शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2020 से इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) छोटी जोत वाले भारतीय किसानों के लिए कम लागत व उच्च प्रभावोत्पादकता वाले कृषि उपकरण विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;
(ग) सीमांत किसानों के लिए कम लागत वाले प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;
(घ) भारत में लघु और सीमांत किसानों हेतु लागत प्रभावी कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार के पास प्रौद्योगिकीय प्रगति के माध्यम से भारत के लघु और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले 10 वर्षों के लिए कोई रोडमैप है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके तत्संबंधी प्रत्याशित परिणाम क्या हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क), (घ) और (ङ): कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने तथा छोटे एवं सीमांत किसानों सहित किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाओं की सूची **अनुबंध-I** पर दी गई है। छोटे एवं सीमांत किसानों सहित किसानों के लिए लागत प्रभावी कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख योजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है। ये पहल विशेषकर छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर सशक्त बनाने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो और सतत खेती को बढ़ावा मिले।

(ख) और (ग): कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) जैसे संस्थानों के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) और सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसानों के खेतों पर कम लागत वाली, क्षेत्र-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाए। इनमें उन्नत किस्में और कृषि पद्धतियां, खाद बनाने की तकनीकें, उन्नत उपकरण और जैविक कृषि पद्धतियां आदि शामिल हैं। आई.सी.ए.आर. ने छोटी जोत वाले और सीमांत किसानों के लिए कई कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन किया है, जिनमें विविध जलीय कृषि प्रजातियों की बहु-कृषि और एकल-कृषि; मीठे पानी के क्षेत्र में जलाशयों और आर्द्रभूमि में कम्यूनिटी-बेस्ड केज़ और पेन कल्चर; धान के साथ मछली पालन, एकीकृत मछली पालन; खारे पानी में झींगा पालन; कम्यूनिटी-बेस्ड ओपपेन सी केज़ फ़ार्मिंग; समुद्री इकोसिस्टम में समुद्री शैवाल की खेती और सीप की खेती; एफ.आर.पी. कोराकल्स; सौर ऊर्जा संचालित मछली पकड़ने वाली नावें; रबर वूड केनोस; सोलर फिश ड्रायर; स्मोकिंग किल्न (धूमन भट्ठी); आदि शामिल हैं। आई.सी.ए.आर. ने सक्रिय निजी भागीदारी के माध्यम से सीमांत किसानों के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इस संबंध में, आई.सी.ए.आर. ने पिछले 5 वर्षों में 150 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। आई.सी.ए.आर. इन नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देता है, कृषि-स्टार्टअप्स और निजी फर्मों को प्रौद्योगिकी परिशोधन, इनपुट आपूर्ति, कस्टम हायरिंग सेवाओं और विस्तार आउटरीच में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके परिणामस्वरूप मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जल संरक्षण और जलवायु-अनुकूल कृषि जैसे क्षेत्रों में किफायती, स्थान-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार हुआ है।

इसके अतिरिक्त, एग्रीकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) फसलोपरांत प्रबंधन इनफ्रास्ट्रक्चर को सहायता प्रदान करता है। ए.आई.एफ. के माध्यम से 107,502 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) का नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम नवाचारों, कृषि उद्यमिता और इनक्यूबेशन को सहायता प्रदान करता है। 30 जून, 2025 तक 1943 कृषि-स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

अनुबंध।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाएँ

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम.आई.एस.एस.)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एस.एच. एंड एफ.)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आई.एस.ए.एम.)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

अनुबंध-II

क्रम संख्या	योजना का नाम	वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति
I.	**कृषि मशीनीकरण उप-मिशन**	योजना के अंतर्गत 30.06.2025 तक, वर्ष **2014-15** से **2025-26** की अवधि के दौरान कृषि मशीनीकरण के लिए **9,069.44** करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। किसानों को सब्सिडी पर **20.72** लाख मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों को किराये के आधार पर कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए **27,204** कस्टम हायरिंग सेंटर, **646** हाई-टेक हब और **25,260** कृषि मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्ष **2025-26** के दौरान राज्यों को **807.34** करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
II.	**एग्रीकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ़.)**	30 जून 2025 तक, ए.आई.एफ. के तहत 1,13,419 परियोजनाओं के लिए 66,310 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 107,502 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। ए.आई.एफ. के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 30,202 कस्टम हायरिंग सेंटर, 22,827 प्रसंस्करण इकाइयां, 15,982 गोदाम, 3,703 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 2,454 कोल्ड स्टोर परियोजनाएं, लगभग 38,251 अन्य प्रकार की कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएं और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियां शामिल हैं।
III.	**ई-नाम**	योजना के अंतर्गत 30.06.2025 तक, विभाग ने ई-नाम की शुरुआत से अब तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1522 मंडियों को इसके साथ एकीकृत किया है। ई-नाम पोर्टल पर 1.79 करोड़ किसान और 2.67 लाख व्यापारी पंजीकृत हैं। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कुल 12.03 करोड़ मीट्रिक टन और 49.15 करोड़ किस्मों (बांस, पान, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का सामूहिक रूप से लगभग 4.39 लाख करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज किया गया है।
IV.	**पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पी.डी.एम.सी.)**	योजना के अंतर्गत 30.06.2025 तक, इस योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए 55% और अन्य किसानों को 45% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से 2025-26 तक, अब तक इस योजना के माध्यम से देश में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 102 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष 2015-16 से अब तक पीडीएमसी के अंतर्गत 24789.16 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है।
V.	**सॉइल हेल्थ कार्ड**	पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को दिनांक 30.06.2025 तक कुल 25.13 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं।
VI.	**किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)**	वर्ष 2014-15 से कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण प्रवाह लगभग तीन गुना बढ़ा है, जो वर्ष 2024-25 में 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 28.69 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अल्पकालिक कृषि ऋण दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है, जो वर्ष 2014-15 में 6.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 15.93 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि केंद्रीय बजट 2025 में घोषणा की गई है, ब्याज अनुदान और पीआरआई लाभ प्राप्त करने के लिए एम.आई.एस.एस. के तहत पात्र ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है, और इस प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई वर्तमान में चल रही है।
VII.	**एग्रीस्टैक**	एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन बुनियादी रजिस्ट्री या डेटाबेस शामिल हैं, अर्थात, (i) भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, (ii) बोई गई फसल रजिस्ट्री, और (iii) किसान रजिस्ट्री (किसान डिजिटल पहचान पत्र) जो राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए जाते हैं और मेंनटेन किए जाते हैं। दिनांक 04.08.2025 तक कुल 7.04 करोड़ से अधिक किसान पहचान पत्र तैयार किए जा चुके हैं। (स्रोत: https://agristack.gov.in/#/farmerRegistryMonitoring) इसके अतिरिक्त, सरकार ने खरीफ 2025 तक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराने का लक्ष्य रखा है। भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र रजिस्ट्री एक पूर्वापेक्षा है। खरीफ 2024 में 436 जिलों में और रबी 2024-25 में 461 जिलों में 23.90 करोड़ से अधिक भूखंडों को कवर करते हुए डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराया गया है।
VIII.	**विंड्स (वेदर इन्फर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम)**	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल वेदर डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क के पाँच गुना बड़े ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रैन-गेज़ का नेटवर्क स्थापित करने हेतु विंड्स (वेदर इन्फर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम)। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग के समन्वय से अंतर-संचालन और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में डाला जाएगा। विंड्स न केवल येस-टेक के लिए, बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी आँकड़े प्रदान करता है।

*****